

ालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

16/12/25 पत्रावली पेश हुई। नार वा आवाज दिनांक के उपरान्त भी सामल एवं उनके आधिकारिता उपरिखर नही हुए। अतः मुकदमा नं. 61/2023 उनवानी वलली उर्फ भवली बनाम राजवहादुर लॉ० पार्थना एवं आरुवाही निवे दंडा अदम हाजरी अंडम के री में खारेज किया गया है। पत्रावली फंसल सुमार डेकर वाड तकमील नखार से कम की जाक मूल दावा के साथ शामिल किमत रहे।

उपरोक्त खुले न्यायालय के मुनापज. राया. /

.....

.....